संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि
मध्य प्रदेश

क्रमांक/4/एस.आई.ए.एफ/12/ 3073 भोपाल, दिनांक 30/10/12

प्रति ,

समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
समस्त, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.।

विषयः– राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के सफल कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाओं में से हैं । प्रदेश के राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का कियान्वयन क्रमशः 1997–98 एवं 2011–12 से किया जा रहा हैं, परन्तु इसमें ओर सुधार की आवश्यकता हैं।

उपरोक्त दोनो योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु ग्राम, विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर समीक्षा, प्रचार प्रसार एवं प्रत्येक रोगी के फॉलोअप की निम्नानुसार कार्य योजना बनाकर उसका कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

कार्ययोजना

अ. **प्रचार प्रसार** – दोनो योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक आमजन को मिल सके, इसके लिये निम्नलिखित गतिविधियॉ आयोजित की जावे।

1 योजना की जानकारी एवं उसके लाभ के संबंध में विभिन्न माध्यमों जैसे–रेडियो, दीवार लेखन, प्रकाशित सामग्री, समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से प्रचारित करने हेतु निर्देशित करें।

2 आई.ई.सी.ब्यूरो के माध्यम से स्टेन्सिल एवं अन्य सामग्री का उपयोग ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार हेतु करें।

3 ग्राम आरोग्य केन्द्रों पर व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से संबंधित जानकारी प्रदान करें।

4 ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति की बैठक के मुख्य एजेंडा में अनिवार्यतः शामिल करके समुदाय तक योजना की जानकारी पहुँचाने हेतु प्रयास किया जावे, ताकि हितग्राही योजना का लाभ उठा सकें।

5 फील्डवर्करों जैसे– ए.एन.एम, एम.पी.डब्ल्यू, आशा इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष सम्पर्क के द्वारा समुदाय को जानकारी देना।

6 स्वयं सेवी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों एवं संबंधित विभागों का सहयोग सुनिश्चित करके प्रचार प्रसार करें।

ब. **सर्वेक्षण/स्क्रीनिंग**– दोनो बीमारियों के अधिकाधिक हितग्राहियों का समय पर उपचार हो सके, इसके लिये आवश्यक है कि जिला एवं विकासखण्ड स्तरों पर स्क्रीनिंग कैम्प्स आयोजित किये जावे। इन कैम्प्स के माध्यम से हितग्राहियों की स्क्रीनिंग करके उपयुक्त उपचार प्रकरणों हेतु सलाह दी जावे।

समीक्षा हेतु प्रमुख बिन्दु –

1 समुदाय एवं पात्र व्यक्तियों को योजना के संबंध मे विस्तृत जानकारी देकर लाभ उठाने के लिये प्रेरित करना ।

2 योजना संबंधी आवेदन प्रकिया का यथासंभव सरलीकरण किया जाना।

3 शिविर के माध्यम से हितग्राहियों का चिन्हांकन करना ।

4 प्रकरणों की संख्या एवं लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या।

5 लाभान्वित हितग्राहियों का फॉलोअप करना।

स. **समीक्षा हेतु सामान्य बिन्दु** – जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर मासिक आधार पर विभिन्न बैठकों के दौरान योजना की समीक्षा करना है।

1. जिला स्तर – जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अंतर्विभागीय समन्वय हेतु निर्देश जारी करवाना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा मासिक बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।

2 विकासखण्ड स्तर – खण्ड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा पर्यवेक्षकों की बैठकों में योजना की समीक्षा की जावे।

3 ग्राम स्तर – ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति की बैठक के एजेंडा में अनिवार्यतः योजना की समीक्षा शामिल की जावे। पर्यवेक्षकों/पंचायत के द्वारा संबंधित फील्डवर्करों की बैठक लेकर योजना के संबंध में समीक्षा की जावे।

द. **प्रत्येक हितग्राही/रोगी का फॉलोअप** –

1 जिला स्तर पर समस्त लाभान्वित हितग्राहियों की सूची तैयार की जावे।

2 प्रत्येक लाभान्वित हितग्राही हेतु फॉलोअप कार्ड का अवलोकन एवं समीक्षा करके तत्संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

3 प्रत्येक लाभान्वित हितग्राही से फील्डवर्कर द्वारा योजना कियान्वयन की गुणवता के संबंध में प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त किया जावे।

Chaubey

संचालक

राज्य बीमारी सहायता निधि एवं
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र.)

पृ क्रमांक / 4 / एस.आई.ए.एफ. / 12 / 3074 भोपाल, दिनांक 30/10/12
प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
3. निज सहायक, वित्त सलाहकार, स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त अधीक्षक, शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, म.प्र।

संचालक
राज्य बीमारी सहायता निधि एवं
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र.)